**भारत सरकार**
**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2052**
**11 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**स्वच्छ भारत मिशन शहरी का कार्यान्वयन**

**2052.श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः**
**श्री सुरेश कुमार शेटकरः**
**श्री बी. मणिक्कम टैगोरः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्तमान वर्ष के दौरान स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को पर्याप्त निधि जारी की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार ने मिशन के अंतर्गत शहरी स्वच्छता गतिविधियों के लिए राज्यों को आवंटित निधि का कोई व्यापक लेखा-परीक्षण कराया है और यदि हाँ, तो प्रमुख निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और किया गया व्यय और अप्रयुक्त शेष राशि कितनी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या पूरे देश के प्रमुख शहरों में मशीनीकृत सड़क सफाई प्रणाली कार्यान्वित की गई है और यदि हाँ, तो कवरेज का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) क्या सरकार का पूरे देश में खुले में कूड़ा फेंकने के प्रचलन को समाप्त करने के लिए वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट-प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित संयंत्र लगाए जाने के स्थान क्या हैं तथा इनकी प्रसंस्करण क्षमता क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**
**(श्री तोखन साहू)**

(क) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू 2.0) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसके अलग-अलग घटकों अर्थात शौचालय निर्माण (आईएचएचएल/सीटी/पीटी), प्रयुक्त जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सूचना, शिक्षा, संचार और व्यवहार परिवर्तन (आईसीऔरबीसी) और क्षमता निर्माण और कौशल विकास (सीबीऔरएसडी) के तहत राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत

अनुमोदित कार्य योजनाओं के प्राप्त होने पर, निधियों का केंद्रीय हिस्सा (सीएस) जारी किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का केंद्रीय हिस्सा जारी करने से पहले राष्ट्रीय सलाहकार और समीक्षा समिति (एनएआरसी) द्वारा इन कार्य योजनाओं को अंतिम अनुमोदन दिया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध निधियों के उपयोग और की गई भौतिक प्रगति के आधार पर निधियों के केंद्रीय हिस्से की अगली किस्त जारी की जाती है। अक्टूबर, 2024 से एसएनए-स्पर्श की शुरुआत के साथ, राज्य द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रस्तुत असली बिलों/किए गए दावों के आधार पर पीएफएमएस, राज्य आईएफएमआईएस और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के ई- कुबेर प्लेटफॉर्म के एकीकृत फ्रेमवर्क के माध्यम से निधियों का केंद्रीय हिस्सा दिया जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान, एसबीएम-यू 2.0 के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पूर्णतः निधियों के उपयोग और आवश्यकता के आधार पर एसएनए-स्पर्श के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अब तक 811.36 करोड़ रु. के दावे किए हैं।

(ख) : भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सीएंडएजी) राज्यों के खातों सहित सभी सरकारी खातों के लिए ज़िम्मेदार संवैधानिक प्राधिकारी है। सीएजी की रिपोर्ट https://cag.gov.in/en/audit-report पर उपलब्ध हैं। मिशन के तहत शहरी सफ़ाई गतिविधियों के लिए कोई अलग से लेखा परीक्षा नहीं की जाती है। एसबीएम-यू के तहत वित्तीय प्रगति की निगरानी उपयोग प्रमाण-पत्र के माध्यम से की जाती है, जिन्हें उपलब्ध निधियों के उपयोग के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रस्तुत किया जाता है। एसबीएम-यू 2.0 के तहत जारी 6,876 करोड़ रु. में से, 2,029.09 करोड़ रु. के उपयोग प्रमाण-पत्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पहले ही प्राप्त हो चुके हैं।

(ग) एसबीएम - शहरी 2.0 के तहत, 152 कस्बे ( राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शहर + 5 लाख से अधिक आबादी वाले यूएलबी) मैकेनाइज्ड रोड स्वीपर (एमआरएस) खरीदने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के लिए पात्र हैं। 96 करोड़ रु. के केंद्रीय हिस्से वाली 323 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत के साथ 580 मैकेनिकल रोड स्वीपर खरीदने के लिए 113 एनसीएपी शहरों/यूएलबी से कार्य योजनाएं प्राप्त हो चुकी है और इसे अनुमोदित किया जा चुका है।

(घ) स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 को अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य घर-घर जाकर 100% संग्रहण, पृथक्करण और कचरे के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। मिशन सभी पुराने कचरा स्थलों का निपटान करने और उन्हें हरित क्षेत्र में बदलने पर भी ज़ोर देता है। यह मिशन अतिरिक्त केंद्रीय तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता देकर नगर निगम अपशिष्ट प्रबंध (एसडब्ल्यूएम) नियम 2000 का पालन करने में राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों में सहायता करता है।

स्वच्छतम पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के शहरी इलाकों में प्रतिदिन कुल 1,62,468 टन नगर निगम ठोस अपशिष्ट (टीपीडी) उत्पन्न होता है। जिसमें से 1,30,484 टीपीडी का प्रसंस्करण किया जाता है अर्थात वर्ष 2014 में 16% अपशिष्ट प्रसंसकरण की तुलना में, सामग्री पुनःप्राप्ति सुविधा (एमआरएफ), ट्रांसफर स्टेशन, खाद संयंत्र, निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट संयंत्र और अपशिष्ट से बिजली सहित अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, बायो-मीथेनेशन संयंत्र आदि जैसी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करके मौजूदा प्रसंस्करण क्षमता बढ़कर 80.31% हो गई है। अब तक, 7783 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित की जा चुकी हैं। राज्य-वार अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progess वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

कुल 2478 कचरा स्थलों से (1000 टन से अधिक कचरा) 25.04 करोड़ मीट्रिक टन कचरे का निपटान करने के लिए चिह्नित किया जा चुका है। अब तक, 1096 कचरा स्थलों का पूरी तरह से निपटान किया जा चुका है और 986 कचरा स्थलों पर कार्य चल रहा है। कुल 15.20 करोड़ मीट्रीक टन (61%) कचरे का निपटान किया जा चुका है और 7903.47 एकड़ (52%) भूमि को पुनःप्राप्त किया जा चुका है।

*****